	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. कैम्प पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ~~22~~ 22.7.25 को पेश हो।	
22.7.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. अन्यकार्य मे व्यस्त है। उ अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-8.25 को पेश हो	
13.8.25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 1-9.25 को पेश हो।	
1.9.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस पूर्व मे सुनी गई वाद वादीय का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 15. 10.25 को पेश हो।	
15.10.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. अवकाश मे पधारे है। वकील वादी उप अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6.11.25 को पेश हो।	
6-11-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... -- 25-11-25 को पेश की जावे	
25.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कर दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन करने पर प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 27/2024

मांगीबाई पत्नी गोपाललाल धाकड निवासी शादी तहसील बेगूँ .....वादी

बनाम

1 राधेश्याम पिता रतनलाल नाई निवासी शादी तहसील बेगूँ
2 लालू पिता लक्ष्मण नाई निवासी शादी तहसील बेगूँ
3 तहसीलदार साहब भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ .....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 25.11.2025

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद पत्र वादी का इस प्रकार से है मौजा शादी प0ह0 शादी तहसील बेगूँ वर्तमान खतौनी संख्या 205 में निम्नलिखित आराजयीात अंकित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
113	0.0410
120	0.1380
121	0.2750
122	0.0570

कीता– 4 कुल रकबा 0.5110 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम संख्या में वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/3 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.4.2024 को प्रतिवादीसं0 1 व 2 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित मौजा शादी की आराजीयात कीता– 4 कुल रकबा 0.5110 हैक्टर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 को जरिये विभाजन पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एवं बाउंड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

यह कि वाद वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त किये जाने से इंकार किये जाने पर उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी सं. 3 भूमिधारी होकर विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मोजा शादी पटवार हल्का शादी की आराजीयात आराजी संख्या 113, 120, 121, 122 योग किता 4 कुल रकबा 0.5110 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वाद पत्र वादी का न्यायालय मे प्रस्तु होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रतिवादी सं0 3 भूमिधारी विभाजन के वाद पत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा वादपत्र का जवाब प्रस्तु नहीं किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश होने एवं प्रतिवादी सं0 3 भूमिधारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं से वादपत्र में वादी की एक तरफा साक्ष्य हेत साक्ष्य शपथ पत्र वादीया मांगीबाई के प्रस्तुत करते हुए मुख्य परीक्षण में वादीया ने अपने बयानों को कलमबद्ध कराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा अपने बयानो को कलमबद्ध किया।

वादपत्र में वादी साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस वादपत्र पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। वादीया अधिवक्ता ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए वादीया का वाद वर्णित कृषि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अपना हिस्सा 1/3 हक का विभाजन वादी एव प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी के आधार पर तथा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा शादी प0ह0 ठुकराई संम्वत 2078 प्रदर्श– 1 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में अंकित आराजी संख्या 113, 120, 121, 122 योग किता 4 कुल रकबा 0.5110 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 अंति है शेष हिस्स प्रतिवादी सं0 1 व 2 का अंकित है। प्रदर्श– 2 नक्शाट्रेस आराजी का है। चूंकि वादी का वाद वर्णित कृषि आराजीयात में उनका हिस्सा 1/3 दर्ज होकर वह खातेदार है जिन्हे अपने खातेदारी में दर्ज हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम की धारा 53 के तहत प्राप्त है। वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा शादी पटवार हल्का ठुकराई में वर्णित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 113, 120, 121, 122 योग किता 4 कुल रकबा 0.5110 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के आधार पर एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वर्णित कृषि आराजीयात का उपरोक्तानुसार विभाजन वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य कराते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावे। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व /2025/849 दिनांक 29.09.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा शादी पटवार हल्का शादी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मति मांगीबाई पति गोपाल लाल धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
113 मेसे	0.0359
180 मेसे	0.1139
121 मेसे	0.0205
कीता– 03	0.1703 हैक्टर

2– श्री राधेश्याम पुत्र रतनलाल 1/2, लालू पुत्र लछमण 1/2, नाई सा. देह खातेदार रहन वदस्तुर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
113 मेसे	0.0051
120 मेसे	0.0241
121 मेसे	0.2545
122 मेसे	0.0570
कीता– 03	0.3407 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 27/2024

मांगीबाई पत्नी गोपाललाल धाकड निवासी शादी तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1 राधेश्याम पिता रतनलाल नाई निवासी शादी तहसील बेगूँ
2 लालू पिता लक्ष्मण नाई निवासी शादी तहसील बेगूँ
3 तहसीलदार साहब भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.11..2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा शादी पटवार हल्का शादी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मति मांगीबाई पति गोपाल लाल धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
113 मेसे	0.0359
180 मेसे	0.1139
121 मेसे	0.0205
कीता– 03	0.1703 हैक्टर

2– श्री राधेश्याम पुत्र रतनलाल 1/2, लालू पुत्र लछमण 1/2, नाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
113 मेसे	0.0051
120 मेसे	0.0241
121 मेसे	0.2545
122 मेसे	0.0570
कीता– 03	0.3407 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/948 दिनांक :– 26/11/25

दावा संख्या 27/2024 व मांगीबाई बनाम राधेश्याम वगै वाद अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ